न्यायालय उप जिलाधिकारी, भरथना।

वाद संख्या 19/12-13 धारा– 143 जेड0ए0 एक्ट।
मौजा बकेवर परगना भरथना जिला इटावा।

राजबहादुर सिंह डिग्री कॉलेज लखना बनाम सरकार

प्रस्तुत वाद वादी राजबहादुर सिंह डिग्री कॉलेज लखना, द्वारा प्रबन्धक अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री राजबहादुर सिंह निवासी ठाकुरान मुहाल लखना तहसील व परगना भरथना जिला इटावा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 जेड0ए0 एक्ट दिनांक 17–04–2013 पर प्रचलित किया गया। जिसमें वादी ने उल्लिखित किया है कि वर्तमान खतौनी के खाता संख्या 1015 की भूमि संख्या 2335 रकबा 1.181 हे0 स्थित ग्राम बकेवर परगना भरथना जिला इटावा की भूमि का प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, जो बतौर संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज दखील होकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। प्रार्थी के गाटा संख्या 2335 रकबा 1.181 हे0 में राजबहादुर सिंह डिग्री कॉलेज बना हुआ है। जिसमें मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि आबादी रूप में निस्तार कर रहे हैं। अन्त में उनके द्वारा उपर्युक्त गाटा संख्या 2335 रकबा 1.181 हे0 को आबादी घोषित किए जाने एवं लगान से मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार भरथना से नियमानुसार जॉच आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार भरथना की आख्या दिनांक 10–05–2013 के अनुसार प्रार्थी उपर्युक्त खाते के गाटा भूमि संख्या 2335 रकबा 1.181 हे0 पर वर्तमान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि में राजबहादुर सिंह डिग्री कॉलेज बना हुआ है, जिसमें शिक्षण कार्य होता है। उक्त भूमि गैर कृषि प्रयोजन के रूप में प्रयुक्त हो रही है। इस प्रकार उक्त रकवे को आबादी घोषित किए जाने हेतु उपयुक्त पाते हुए इसे आबादी घोषित किए जाने की आख्या संस्तुति सहित प्रस्तुत की गई।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परीक्षण किया तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता की तार्किक बहस सुनी। प्रश्नगत भूमि संख्या 2335 रकबा 1.181 हे0 क्षेत्रफल का उपयोग आबादी के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इसमें कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन का कार्य नहीं हो रहा है। ये गाटे कृषि कार्य से असम्बन्ध है, जो आबादी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, इस तथ्य की पुष्टि नियम 135 जेड0ए0 एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त तहसील आख्या से होती है। यह भूमि प्रार्थी की संक्रमणीय भूमि है। इसे तहसील आख्या में आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है। इसके विपरीत पत्रावली पर कोई साक्ष्य / तथ्य उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त भूमि को आबादी भूमि घोषित की जानी उचित प्रतीत होती है। अतः

नकल आदेश दिनांक - 10.5.2013

ग्राम बकेवर परगना भरथना जिला इटावा के वर्तमान खतौनी के खाता संख्या 1015 की भूमि संख्या 2335 रकबा 1.181 हे0 जिसमें निर्माण कार्य है, को अकृषित घोषित करते हुए आबादी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व से अवमुक्त किया जाता है। तहसीलदार भरथना की आख्या आदेश का अंग रहेगी तद्नुसार परवाना अमल–दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, भरथना को अभिलेखों में अंकन हेतु भेजी जाए। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल, दफ्तर हो।

दिनांक 10–05–2013

(मनीष कुमार नाहर
उप जिलाधिकारी,
भरथना।

न्यायालय उप जिलाधिकारी भरथना जनपद-इटावा

NOTARY 17-5-13 Pramod Kumar Advocate Regd. No. 4304 Distt. Etawah (U.P.) INDIA

प्रबन्धक / मंत्री
राजबहादुर सिंह शिक्षा प्रसार समिति
लखना (इटावा)

भारत

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AC 576376

Pramod Kumar
Advocate & Notary Etawah (U.P.)
Regd. No.- 4904 Govt. of India

प्रबन्धक
राजबहादुर सिंह शिक्षा प्रसार समिति
लखना (इटावा)

प्रबन्धक
राजबहादुर सिंह शिक्षा प्रसार समिति
लखना (इटावा)